न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर
बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 13/2022 प्रार्थना पत्र
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/199
उनवान

1. श्री नारायण पिता रतना मीणा, जाति मीणा बालिग, निवासी खोलडी, हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री उगेन्द्र सिंह पिता लालसिंह राजपुत, उम्र बालिग
2. श्री प्रहलाद सिंह पिता लालसिंह जी राजपुत, उम्र बालिग
3. श्रीमती बसन्त कुंवर पति स्व. लालसिंह जी राजपुत, उम्र बालिग
4. श्री महेन्द्र सिंह पिता लालसिंह जी राजपुत, उम्र बालिग
5. श्री वाला पिता देवा मीणा, उम्र बालिग
   समस्त निवासीयान खोलडी, हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।
6. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब, झल्लारा, जिला सलूम्बर (राज.)।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

–::निर्णय::–

दिनांकः–29/09/25

उपस्थितिः श्री नरेश सोनी अधिवक्ता–प्रार्थी
श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता– विपक्षी संख्या 1 से 4
श्री प्रकाशचन्द्र जोशी अधिवक्ता– विपक्षी संख्या 5

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राज़स्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 सी पी सी का प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा खोलडी, पटवार हल्का देवगांव में प्रार्थी की आराजी नम्बर 1695/6 रकबा 4 बीघा वर्गीकरण हकत तृतीय भूमि का मालिक सम्वत् 2038 से 2041 की जमाबन्दी के अनुसार है तथा मौके पर पहले से 3 पीढीयों के काबिज बिलानाम भूमि पर काबिज थे जो 1983 के अभियान में उनको उक्त आराजीयात का पट्टा मिला तथा प्रार्थी के नाम पर दर्ज हुई। यह कि जब से प्रार्थी को भूमि की एलोटमेन्ट होकर उसके खाते दर्ज हुई है तब से लगाकर निरन्तर बेरोकटोक कृषि कार्य उक्त आराजीयात पर करता आ रहा है। दौहराने सेटलमेन्ट में नये आराजी नम्बर पडे। तब राजस्व कर्मचारियों तथा सेटलमेन्ट के अधिकारी से सांठगांठ कर प्रार्थी जिस जगह पर बैठा हुआ था, नक्शा में भी जिस जगह बैठा था वह नारायण लिखा हुआ स्पष्ट नक्शे में अंकित है। वहां पर आराजी नम्बर नये अंकित करते समय 1695/6 के नये आराजी नम्बर 4076/3446 की जगह 4075/3546 1–1 अंक का हेरफेर कर विपक्षी सं. 5 वाला पिता देवा की जगह नक्शें में अंकित कर दी जबकि मौके पर सदियों से प्रार्थी ही काबिज है तथा पुराने नक्शें में भी प्रार्थी का नाम नारायण स्पष्ट अंकित है। विपक्षी सं. 1 से 4 तक भी प्रार्थी को

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हे। व राजस्व कर्मचारियों व सेटलमेन्ट अधिकारी से सांठगांठ कर नक्शे में कांट छांट करवाकर प्रार्थी को उसके कब्जे शुदा भूमि से बेदखल करने की कोशिश कर रहे है। प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 से 4 तक के पिता लालसिंह पिता देवीसिंह को एक दिन एक ही अभियान में पट्टे आंवटित हुए थे जिसमें प्रार्थी का 1695/6 तथा विपक्षी सं. 1 से 4 के पिता को 1695/5 दोनो पास–पास ही थे परन्तु विपक्षी सं. 1 से 5 तक अपने राजनैतिक लाभ उठाते हुए विपक्षीगण ने सेटलमेन्ट के कर्मचारीयों से सांठगांठ कर प्रार्थी को अपनी जगह से हटाने की नियत से नक्शे में कहीं दूर अंकित कर दिया। परन्तु विपक्षी नं0. 1 से 5 की मौके पर आकर कब्जा करने की हिम्मत नहीं हुई। मौके पर प्रार्थी ही काबिज काश्त है तथा 1983 को पट्टा मिलने के बाद भी मौके पर कभी काबिज नहीं हुए तथा न ही कभी कृषि कार्य किया। विपक्षी सं. 1 से 4 के पिता लाल सिंह पिता देवीसिंह ने प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 06–09–1990 को 3 तीन रूपये के स्टाम्प पर लिख कर दिया था कि उसकी भूमि आराजी नम्बर 1695/5 में 5 बीघा भूमि मेसे तीन बीघा भूमि प्रार्थी का रहेगा, लिखा है। जिसके नये नम्बर 3545 है पर मौके पर कभी काबिज नहीं रहे। इसलिये धारा 63 (3) राज. का.अधिनियम के अनुसार प्रार्थी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। इसलिये उसके नाम कराया जाना न्यायोचित है तथा इन्द्राज दुरस्ती आवश्यक है। विपक्षी सं. 1 से 5 तक सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा की गई गलती नक्शे में नई आराजीयात गलत दर्ज करने का फायदा उठाते हुए विपक्षीगण प्रार्थी को आये दिन परेशान करते है तथा उसकी जमीन पर कब्जा करने की नियत से आये दिन झगडा फसाद करते रहते है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका नहीं जाता है तो प्रार्थी को अपुरणीय क्षति होगी। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दौराने वाद वाद प्रार्थी को अपने पुराने नक्शें जिसकी आराजी नम्बर 1695/6, 1695/5 है के अनुसार कृषि कार्य करने देवे। उसमें किसी प्रकार का विघ्न, बाधा उत्पन्न नहीं करे, न तो स्वयं करे, न ही अपने मजदुर, एजेन्ट से करावे। अन्य आवश्यक दाद हो दिलाई जावे।

प्रार्थना पत्र जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री गेबीलाल मेहता हाजिर आये जिन्होने जवाब पेश कर अंकित किया कि– मौजा खोलडी के सेटलमेन्ट पूर्व आराजी नम्बर 1695/5 रकबा 5 बीघा जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 3545 रकबा 1.10 हेक्टर है जो सन् 1983 में विपक्षी सं. 1 से 4 के पूर्वज श्री लालसिंह पिता देवीसिंह को आवंटित हुई जिसका नामान्तरण संख्या 387 से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार से श्री लालसिंह के खाते दर्ज हुई। स्व. श्री लालसिंह जी के स्वर्गवास के बाद वर्तमान आराजी नम्बर 3545 विपक्षी सं. 1 से 4 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई एवं सन् 1983 के पहले से इस भूमि पर विपक्षी सं. 1 से 4 के पूर्वज लालसिंह जी का व उनके स्वर्गवास के बाद से आज तक विपक्षी सं. 1 से 4 का बेरोकटोक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी जबरन विपक्षीगण की कब्जेकाश्त की आराजी नं. 3545 पर जबरन कब्जा करना चाहता है जिसे हेतु उसने यह आधारहीन झुठा मुकदमा दर्ज कराया है। आराजी नम्बर 3545 रकबा 1.10 हेक्टर भूमि में से स्व. श्री लालसिंह जी ने विपक्षी सं. 2 प्रहलाद सिंह को 0.022 हेक्टर भूमि दिनांक 25–11–2008 को जरिये पंजीकृत बक्षीश हस्तान्तरित की जो राजस्व रेकार्ड में अलग से आराजी नम्बर बन विपक्षी सं. 2 के खाते दर्ज हुई। जिसे विपक्षी सं. 2 ने अपनी आवश्यकता अनुसार श्रीमान् उपजिला अधिकारी सलुम्बर से दिनांक 07–01–2009 को औद्योगिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक संपरिवर्तन कराई। इस तरह

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

आराजी नम्बर 3545 में से 0.88 हेक्टर किस्म हकत तृतीय भूमि पर विपक्षी सं. 1 से 4 तथा आराजी नं. 3545/1 रकबा 0.22 हेक्टर भूमि किस्म औद्योगिक पर विपक्षी सं. 4 आज तक बेरोकटोक काबिज काश्त हो उपयोग उपभोग कर रहा है। इस तरह मौजा खोलडी के वर्तमान आराजी नम्बर 3545 व 3545/1 पर प्रार्थी का या किसी अन्य पक्ष का विपक्षी सं. 1 से 4 व स्व. लालसिंह जी के अलावा किसी का न तो कब्जा काश्त रहा है न ही कोई हक अधिकार है। प्रार्थीगण के सारे आरोप मनगढन्त होकर निराधार है। सेटलमेन्ट अधिकारियों ने वक्त सेटलमेन्ट मौके व रेकार्ड के अनुसार पुराने नम्बरों के बजाय नये नम्बर राजस्व रेकार्ड में तथा नक्शे में अंकित किये। सेटलमेन्ट पूर्व आराजी नम्बर 1695/5 रकबा 5 बीघा श्री लालसिह जी के खाते था जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 3545 बने जो सेटलमेन्ट पूर्व के नक्शा शीट में अंकित 1695/5 की जगह ही दर्ज है तथा सेटलमेन्ट पूर्व आराजी नम्बर 1695/6 रकबा 4 बीघा प्रार्थी को आवंटित हुआ था जिसके मिलान क्षेत्र से वर्तमान आराजी नम्बर 4076/3446 बने जो नक्शा शीट में भी पुराने आराजी नम्बर 1695/6 की जगह पर ही अंकित है तथा सेटलमेन्ट पूर्व के आराजी नम्बर 1695/5 रकबा 5 बीघा के बजाय वर्तमान आराजी नम्बर 3545 रकबा 1.10 हेक्टर तथा आराजी नम्बर 1695/6 रकबा 4 बीघा के बजाय वर्तमान आराजी नम्बर 4076/3446 रकबा 0.85 हेक्टर बना जो रकबा भी पुराने रकबे के बराबर है तथा मौके पर पुराने नक्शें के अनुसार ही रेकार्ड में दर्ज है। इसलिये प्रार्थी का यह आरोप कि सेटलमेन्ट अधिकारियों ने सांठगांठ कर आराजी नम्बर 4076/3446 की जगह 4075/3546 कर दिया और गलत अंकन रेकार्ड में कर दिया जबकि पुराने और नये रेकार्ड में किसी तरह का कोई मौके व रेकार्ड में परिवर्तन नहीं है।

प्रार्थीगण अनुसूचित जाति का सदस्य है जो अपनी जाति का नाजायज फायदा उठाकर विपक्षीगण सं. 1 से 4 जो सवर्ण जाति के है जिन्हें जबरन जातिगत अपराधों में फंसाने की धमकी देकर विपक्षीगण सं. 1 से 4 की आराजी भूमि 3545 व 3545/1 पर जबरन कब्जा करने पर आमदा फसाद हो रहा है इस हेतु उसने विपक्षी सं. 1 से 4 के विरूद्ध थानों में झुठे झुठे मुकदमें व इत्तलाऐं दर्ज कराई है। प्रार्थी येन–केन प्रकारेण जबरन विपक्षीगण सं. 1 से 4 के खाते की भूमि पर कब्जा कर उन्हें बेदखल करना चाहता है इसलिये यह झुठा मुकदमा प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन व सत्यता से परे होने से खारिज योग्य है। राजस्व रेकार्ड में सेटलमेन्ट पूर्व के आराजी नम्बर आवंटन व कब्जे के अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुए और रेकार्ड के मुताबिक ही विपक्षी सं. 1 से 4 व उनके पूर्वज स्व. श्री लालसिह जी काबिज चले आ रहे है। अगर प्रार्थी के पास किसी तरह की कोई तथाकथित लिखतम है तो वह अवश्य ही फर्जी है क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो आज तक प्रार्थी अपनी भूमि पर कब्जा प्राप्त कर अपने नाम विक्रय पत्र का पंजीयन करा देता या स्व श्री लालसिंह जी को आराजी नम्बर 1695/5 आवंटित हुआ उसे सक्षम न्यायालय में आंवटन निरस्त कराने की कोई कार्यवाही करता तथा तात्कालीन अधिकारी भी स्व. श्री लालसिंह जी को खातेदारी अधिकार नहीं देते एवं आराजी नम्बर 3545 में से विपक्षी सं. 4 के पक्ष में 0.22 हेक्टर भूमि बक्षीश हुई जिसे श्रीमान् उपजिला अधिकारी सलुम्बर द्वारा औद्योगिक संपरिवर्तन की गई जो भी श्रीमान् उपजिला अधिकारी, तात्कालीन श्रीमान् तहसीलदार, तात्कालीन रेवेन्यु इंस्पेक्टर व हल्का पटवारी द्वारा मौके के अनुसार तथा रेकार्ड के अनुसार निरीक्षण कर नियमानुसार औद्योगिक संपरिवर्तन का पट्टा जारी किया है। अगर विपक्षी की भूमि को प्रार्थी अपनी मानता है तो उसे पहले औद्यौगिक संपरिवर्तन को निरस्त कराने का वाद प्रस्तुत करना चाहिये था या वादग्रस्त भूमि औद्योगिक है तो

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

उसे सक्षम न्यायालय में वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था इसलिये श्रवणाधिकार के आधार पर भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी के पास अगर कोई लिखतम है तो वह अवश्य ही कुटरचित लिखतम है। स्व. श्री लाल सिंह जी के जीवनकाल में तथा उनकी मृत्यु के बाद आज तक प्रार्थी ने उक्त लिखतम का कोई जिक्र विपक्षीगण या गांव के किन्हीं लोगो के मध्य नहीं किया है सारा गांव जानता है आराजी नम्बर 3545 व 3545/1 के एक मात्र स्वामी मालिक आदि विपक्षी सं. 1 से 4 व उनके पूर्वज है। इस बात की एक लिखतम भी समस्त ग्रामवासी जो प्रार्थी के समाज के, परिवारजन तथा रिश्तेदार है उन्होंने श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर व थानाधिकारी झल्लारा को भी लिखित में प्रार्थना पत्र सभी ने अपने हस्ताक्षर कर आराजी नम्बर 3545 पर कब्जा विपक्षी सं. 1 से 4 का होने का लिखकर भी दिया है। आराजी नम्बर 3545 के एकमात्र मालिक स्वामी, खातेदार, काबिल विपक्षीगण है तथा प्रार्थी का इस भूमि से किसी तरह का कोई हक सरोकार अधिकार, आधिपत्य नहीं है। इसलिये अस्थाई प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दु यथा सुविधा संतुलन, अपुरणीय क्षति और प्रथम दृष्ट्या मजबुत दावा तीनों ही प्रार्थी के मुकाबले विपक्षी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

विपक्षीगण सेटलमेन्ट पूर्व आराजी नम्बर 1695/5 रकबा 5 बीघा पर काबिज है। विपक्षीगण का सेटलमेन्ट पूर्व के आराजी नम्बर 1695/6 व वर्तमान आराजी नम्बर 4076/3446 रकबा 0.46 हेक्टर से किसी तरह से कोई सरोकार नहीं है। विपक्षीगण के खाते सेटलमेन्ट पूर्व आराजी नम्बर 1695/5 जिसके बने वर्तमान नम्बर 3545 व 3545/1 के एकमात्र स्वामी, मालिक, काबिज विपक्षीगण सं. 1 से 4 है। विपक्षीगण सं. 1 से 4 के खाते की आराजी में प्रार्थी का किसी तरह का कोई अह अधिकार नहीं है। प्रार्थी विपक्षीगण के विरुद्ध किसी तरह की कोई आदेशात्मक व्यादेश, अस्थाई निषेधाज्ञा या किसी तरह का कोई आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का भूमि पर कब्जा ही नहीं है तो वह किसी तरह का कोई अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश या किसी भी तरह का कोई आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

विपक्षी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र जोशी हाजिर आये जिन्होंने विपक्षी संख्या 5 की ओर से जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी/वादी की भूमि कब आवंटित हुई थी और वादी किन आराजियात पर काबिज है प्रार्थी/वादी साक्ष्य द्वारा साबित करे। मौजा खोलडी के हाल राजस्व खाता संख्या 367 में आ.नं. 4075/3546 रकबा 0.30 हे. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 05 वाला के नाम खातेदारी हक से दर्ज होकर वाला काबिज है जिसमे प्रार्थी/वादी का कोई हक हकूक हिस्सा नहीं है प्रार्थी/वादी के सभी आरोप निराधार है अन्य इबारत प्रार्थी/वादी दस्तावेजी साक्ष्यो से साबित करे । विपक्षी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है तथा सभी विपक्षीगण अपनी अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर काबिज है प्रार्थी/वादी ने झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीगण ने आज तक कभी भी उक्त भूमि बाबत कोई सीमाजानकारी अथवा पत्थर गढ़ी का आदेश प्राप्त कर अपनी भूमि की नपती नही कराई है नही आज तक उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज किया है जिससे साबित है की प्रार्थीगण इस झूठे प्रार्थना पत्र की आड़ में विपक्षीगण को बेवजह परेशान करने के लिए यह झूठा प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है प्रार्थी/वादी किसी भी प्रकार से अस्थाई अथवा आदेशात्मक निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। आराजी नस्बर–4075/3546 रकबा 0.30 हे. के एकमात्र मालिक स्वामी, खातेदार, काबिल विपक्षी संख्या 5 है तथा, प्रार्थी का इस भूमि से किसी तरह

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

का कोई हक सरोकार अधिकार, आधिपत्य नहीं है। इसलिये अस्थाई प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दु यथा सुविधा संतुलन, अपुरणीय क्षति और प्रथम दृष्ट्या मजबुत दावा तीनों ही प्रार्थी के मुकाबले विपक्षी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतएव प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन व बिना कब्जे के आधार पर, व बिना राजस्व रेकार्ड पर प्रस्तुत है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण मे तहसीलदार झल्लारा से कमिश्नरी रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार झल्लारा के पत्रांक 390 दिनांक 04–10–2024 द्वारा रिपोर्ट पेश की तथा अंकित किया कि–

1. यह कि प्रार्थी श्री नारायण पिता रतना मीणा निवासी खोलडी को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी महोदय सलूम्बर की पत्रावली संख्या 937/83 किस्म पत्रावली भूमि आवंटन के द्वारा तारीख दायर 30–01–1983 को पेश हुई जो तारीख फैसल 30–01–1983 के द्वारा खोलडी के बिलानाम आराजी संख्या साबिक 1695 रकबा 4 बीघा किस्म हकत तृतीय लगान 0.56 रू. भूमि आवंटित (नियमन) हुई। जिसका ग्राम खोलडी के नामान्तरण संख्या 388 के गैर खातेदार दर्ज की स्वीकृति हुई।
2. यह कि मिलान क्षैत्रफल अनुसार ग्राम खोलडी की साबिक आराजी नम्बर 1695/6 रकबा 4 बीघा के हाल आराजी नम्बर 4076/3446 रकबा 0.85 हैक्टेयर बनना प्रतीत होता है।
3. यह कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम जमाबंदी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या 188 आराजी नम्बर 4076–3446 रकबा 0.85 हैक्टेयर किस्म हकत तृतीय भूमि नारायण पुत्र रतना मीणा सा. देह खातेदार के नाम राजस्व में दर्ज है।
4. यह कि मिलस बंदोबस्त मिलान क्षैत्रफल से नवीन आराजी नम्बर 4076/3446 रकबा 0.85 हैक्टेयर पूराने आराजी नम्बर 1695/6 रकबा 4 बीघा से बना है। परन्तु सेटलमेन्ट के बाद बने नवीन नक्शे मे आराजी नम्बर 4075/3546 दर्ज एवं आराजी नम्बर 4075/3911 भी नवीन सेटलमेन्ट नक्शे में दर्ज है।
5. यह कि आराजी नम्बर 4075/3911 रकबा 0.30 हैक्टेयर श्री वाला पिता देवा मीणा को ऐलोटमेन्ट हुआ। पुराने आराजी नम्बर 1762 मिलान क्षैत्रफल से नवीन आराजी नम्बर 4075/3911 रकबा 0.30 हैक्टेयर बना जिस पर खातेदार वाला पिता देवा का कब्जा काश्त चला आ रहा है।
6. यह कि आराजी नम्बर 4076/3446 रकबा 0.85 हैक्टेयर जो मिसल बंदोबस्त मे कही पर भी दर्ज नही है जबकि मूल आराजी नम्बर 3446 रकबा 0.15 हैक्टेयर ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। 4075/3546 नक्शें में दर्ज होने से व मिलान क्षैत्रफल में 4076/3446 गलत दर्ज हुआ। सही आराजी नम्बर 4076/3546 रकबा 0.85 हैक्टेयर होना चाहिए। व आराजी नम्बर 4075/3911 रकबा 0.30 हैक्टेयर सही इन्द्राज है।
7. यह कि उक्त सेग्रीगेशन वर्श 2018 में हुआ था जिसमें आराजी नम्बर 4075/3546 व 4075/3911 एक ही सीरीज के होने से एक आराजी नम्बर 4075/3911 को डिलिट कर दिया गया व नक्शे में सम्पूर्ण आराजी नम्बर 3911 दर्ज कर दिया गया। जिससे आराजी नम्बर 4075/3546 वाला पिता देवा के नाम दर्ज हो गया जो कि गलत दर्ज हुआ है। सेग्रीगेशन के

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

नक्शे में पुनः आराजी नम्बर 4075/3911 की तरमीम किया जाना चाहिए एवं मिलान क्षैत्रफल में सेंटलमेन्ट अमिनो द्वारा गलत आराजी नम्बर 4076/3446 बनाया है जिसको सही आराजी नम्बर 4076/3546 किया जाना उचित है। जिससे प्रार्थी नारायण पिता रतना मीणा को उचित न्याय मिल सके।

यह कि आवंटन/नियमन की पत्रावली संख्या 934/83 उपखण्ड अधिकारी महोदय कार्यालय सलूम्बर द्वारा श्री लाल सिंह पिता देवी सिंह राजपुत निवासी खोलडी को खसरा संख्या 1695/5 रकबा 5 बीघा आवंटन के नाम गैर खातेदारी से दर्ज हुई। हाल बन्दोबस्त पश्चात् मिलान क्षैत्रफल अनुसार खसरा संख्या 1695/5 रकबा 5 बीघा का नया खसरा नम्बर 3545 रकबा 1.10 हैक्टेयर दर्ज हुआ है।

नवीन आराजी नम्बर 3545 रकबा 1.10 हैक्टेयर की भूमि पर पुराना निर्माण 3 कमरे टीनशेड वाले बनाए हुए है जो पुराने होकर टीन ेड वर्तमान में नही है। व कमरो के खिडकी दरवाजे नही है। तथा इसी आराजी में सीमेंट के पाइप बनाने हेतु स्थायी पक्का निर्माण होना पाया गया है। जो काफी पुराना होना प्रतीत होता है मौके पर उपस्थित प्रार्थी नारायण लाल को पुछने पर यह अवगत कराया कि यह पक्का निर्माण श्री लाल सिंह के द्वारा करना बताया।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण ने बहस मे अपने जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रेकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने साबिक आराजी 1695 रकबा 4 बीघा भूमि से बने हाल आराजीयात के नक्शे मे इन्द्राज दुरस्ती के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार ग्राम खोलडी की साबिक आराजी नम्बर 1695/6 रकबा 4 बीघा के हाल आराजी नम्बर 4076/3446 रकबा 0.85 हैक्टेयर बनना प्रतीत होता है। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या 188 आराजी नम्बर 4076/3446 रकबा 0.85 हैक्टेयर किस्म हकत तृतीय भूमि नारायण पुत्र रतना मीणा सा. देह खातेदार के नाम राजस्व में दर्ज है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार खसरा संख्या 1695/5 रकबा 5 बीघा का नया खसरा नम्बर 3545 रकबा 1.10 हैक्टेयर विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 1762 मिलान क्षैत्रफल से नवीन आराजी नम्बर 4075/3911 रकबा 0.30 हैक्टेयर बना जिस पर खातेदार वाला पिता देवा का नाम दर्ज अंकित है। पत्रावली मे तहसीलदार झल्लारा से प्राप्त कमिश्नरी रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि सेग्रीगेशन वर्ष 2018 में हुआ था जिसमें आराजी नम्बर 4075/3546 व 4075/3911 एक ही सीरीज के होने से एक आराजी नम्बर 4075/3911 को डिलिट कर दिया गया व नक्शे में सम्पूर्ण आराजी नम्बर 3911 दर्ज कर दिया गया। जिससे आराजी नम्बर 4075/3546 वाला पिता देवा के नाम दर्ज हो गया जो कि गलत दर्ज हुआ है। सेग्रीगेशन के नक्शे में पुनः आराजी नम्बर 4075/3911 की तरमीम किया जाना चाहिए एवं मिलान क्षैत्रफल में सेंटलमेन्ट अमिनो द्वारा गलत आराजी नम्बर 4076/3446 बनाया है जिसको सही आराजी नम्बर 4076/3546 किया जाना उचित है। उक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधारा पर प्रार्थीगण का

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध साबित नही पाया जाता है। न ही प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र मे यह साबित कर पाये है कि विपक्षीगण ने प्रार्थी की भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी की हो। पत्रावली के तथ्यो का एवं कमिश्नरी रिपोर्ट मे आये अन्य तथ्य साक्ष्य का विषय है जिनका समूचित परीक्षण मूलवाद मे किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जायेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 जा.दि. का स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 जा.दि. बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29/09/25 को न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर